

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक:

कुलसचिव
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय
जौनपुर।पत्रांक:पू.वि.वि. /सम्ब./03-90 (रीन)/2010/
दिनांक: 02-11-2010

4017

सेवा में,

प्रबन्धक,
स्वधर्म महाविद्यालय,
कटया, परसोतियाँ, गाजीपुर।

विषय : स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत चयनित प्राचार्य के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 18.08.2010 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में सूचित करना है कि चयन शक्ति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश दिनांक 09 मई, 2000 के आलोक में 3 अथवा 5 वर्ष की संविदा के आधार पर निम्नलिखित चयनित अभ्यर्थी के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान कर दी है कि इनके अंक-पत्रों/प्रमाण-पत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाया गया तो इनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

| नाम | पिता का नाम | जन्म-तिथि | शैक्षिक अर्हता | पद का नाम |
|-----------------------------|------------------------|------------|------------------|-----------|
| 1. डॉ० राजेश्वर प्रसाद सिंह | श्री यमुना प्रसाद सिंह | 01.07.1958 | एम.ए., पी.एच.डी. | प्राचार्य |

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पारापोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा इसके साथ ही यह भी सूचित है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा अध्यापकों के लिये अंशदायी भविष्य निधि (कान्फ्रिब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय
21/11/2010
कुलसचिव

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक:

कुलसचिव
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय
जौनपुर।



पत्र-संख्या/सं/03 90 जौन/2010/3016

दिनांक: 19.9.2010

सेवा में,

प्रबन्धक,
स्वधर्म महाविद्यालय
कटया, परसोतियाँ, गाजीपुर।


विषय: स्वधर्म महाविद्यालय, कटया, परसोतियाँ, गाजीपुर में स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत चयनित मध्यकालीन इतिहास विषय के प्रवक्ता के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 18.08.2010 का संदर्भ ध्यान करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में सूचित करना है कि वयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विद्यारोपरांत कुलपति महोदय ने शासनादेश दिनांक 09 मई, 2000 के आलोक में 3 अथवा 5 वर्ष की संविदा के आधार पर निम्नलिखित चयनित अभ्यर्थी के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान कर दी है कि इनके अंक-पत्रों/प्रमाण-पत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाया गया तो इनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

| नाम | पिता का नाम | जन्म-तिथि | शैक्षिक अर्हता | प्रवक्ता |
|---------------------------|-------------------------|------------|----------------|--------------|
| 1. श्री अतिनाश कुमार दुबे | श्री देवेन्द्र नाथ दुबे | 24.04.1983 | एमए एमफिल | मध्यक इतिहास |

अतः उपरोक्त को सुरागत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा इसके साथ ही यह भी सूचित है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, वेतन एकाउन्टपेयी बैंक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा अध्यापका के लिये अंशदायी मविध्य निधि (कान्फ्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय

19/9/2010
कुलसचिव

वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक:

कुलसचिव
वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय
जौनपुर (उ.प्र.)



पत्रांक: पूविवि/सम्बद्धता/03-90 (तीन)/2010/1951
दिनांक: 19.1.2010

सेवा में,

प्रबन्धक
स्वधर्म महाविद्यालय,
परसोतियां, गाजीपुर।

विषय – स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर चयनित प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 02.01.2010 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी सस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोंपरान्त कुलपति महोदय ने निम्नलिखित अभ्यर्थियों को शासनादेश दिनांक 09 मई 2000 के आलोक में स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत 3 अथवा 5 वर्ष की संविदा के आधार पर नियुक्त किये जाने हेतु अपनी अनुमति प्रदान कर दी है। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

| नाम | पिता/पति का नाम | जन्म तिथि | प्रवक्ता |
|---------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 1. श्री मनोज कुमार गुप्ता | श्री हीरालाल गुप्ता | 19.03.1985 | संस्कृत |
| 2. श्रीमती प्रीति यादव | श्री श्रीराम यादव | 10.09.1985 | गृहविज्ञान |
| 3. श्री कृपानाथ | श्री बोधराज | 02.07.1982 | समाजशास्त्र |

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र पर अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो नोटरी द्वारा सत्यापित हो, सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा साथ ही यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो तथा वेतन एकाउण्टपेयी बैंक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा अध्यापकों के लिये अंशदायी भविष्य निधि (कान्स्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय
18/1/2010
कुलसचिव